

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/योजना/नवीन/हाई/हा०से०/ब/2008-09/57 भोपाल दि० 10-2-09
प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला- रायसेन
मध्यप्रदेश ।

विषय:- 01 जुलाई 2009 से नवीन हाईस्कूल प्रारंभ करने विषयक ।
संदर्भ:- संचालनालय का आदेश क्रमांक क्र०/योजना/ नवीन/हाई/ हा०से०/ ब/
2008-09/ 446 भोपाल दिनांक 24.09.08 ।

—:—:—

विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश द्वारा माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी के निर्देश के अनुपालन में स्कूल शिक्षा विभागान्तर्गत निम्नानुसार माध्यमिक शाला को हाईस्कूल में उन्नत कर प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है । यह शाला 1 जुलाई 2009 से प्रारंभ की जाना है ।

हाईस्कूल

स.क्र.	जिला	विकासखण्ड	मा०शाला का नाम
1	रायसेन	ओबेदुल्लागंज	मा०शाला सराकिया

उपरोक्त शाला हेतु शासन के आदेश क्रमांक एफ-27-48/2008/बीस-2 भोपाल दिनांक 13.10.08 द्वारा वर्ष 2008-09 में सक्सेस योजना अन्तर्गत 448 माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूलों में उन्नयन हेतु स्वीकृत पदों में से उक्त शाला हेतु निम्नानुसार पदों की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

हाईस्कूल


स. क्र.	पदनाम	संख्या	वेतनमान
1	प्राचार्य	01	6500-10500
2	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-2 /अध्यापक	06	3500 रु.प्रतिमाह
3	संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 /सहायक अध्यापक	01	2500 रु.प्रतिमाह
4	सहायक ग्रेड-3 (संविदा)	01	2000 रु.प्रतिमाह
5	शाला प्रबंधन	-	6000 प्रतिमाह

उक्त पदों पर होने वाला व्यय की व्यवस्था वर्ष 2008-09 के प्रथम अनुपूरक में प्रावधान मांग संख्या-77-2202 मद क्रमांक 1629 से स्वीकृत बजट की बचत से उपलब्ध राशि से विकलनीय होगा ।

Apar
संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, मुख्यमंत्री म०प्र० शासन, भोपाल ।
2. निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग ।
3. निज स्टाफ मुख्य सचिव, म०प्र० शासन भोपाल ।
4. प्रमुख सचिव, म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग ।
5. सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० ।
6. जिला कलेक्टर रायसेन म०प्र० ।
7. जिला कोषालय अधिकारी रायसेन म०प्र० ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन म०प्र० ।
9. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल म०प्र० ।
10. स्थापना 1,2,3, एवं 4 (स्थानीय) लोक शिक्षण म०प्र० ।
11. सहायक संचालक बजट/ शिक्षाकर्मी (स्थानीय) "अ" टेबल योजना कक्ष लोक शिक्षण म०प्र० ।
12. गार्ड फाईल, योजना कक्ष (स्थानीय) लोक शिक्षण म०प्र० ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


संयुक्त संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश